न्यायालय–   प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।
सत्र परीक्षण सं०–७२/२०१६
राज्य प्रति हाशिम व सात अन्य
धारा–१४७, १४८, ३०७ सपठित धारा–१४९, ३०२ सपठित धारा–१४९ भा०दं०सं०
थाना कोतवाली जिला बदायूँ।

<u>दिनॉकः ०५/१२/२०१९</u>

१.   **<u>निस्तारण प्रार्थना–पत्र ८३ ख</u>**

१.१ वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र **८३ ख,** जिसे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने संस्तुत किया है, इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि इस केस में पी० डब्लू० ०१ सारिक उर्फ बब्बू, पी० डब्लू० ०२ मोहम्मद शारिक, पी० डब्लू० ०३ जावेद उर्फ रीनू की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा अभिलिखित की जा चुकी है। मोहम्मद शारिक तहरीर लेखक है। बब्बू उर्फ सारिक और जावेद उर्फ रीनू की साक्ष्य से सपष्ट होता है कि अभियुक्तगण शराफत, राजा व सव्वू घटना में शामिल थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नामित थे तथा विवेचक को दिये गये साक्षियों के शपथ–पत्र में अभियुक्तगण की संलिप्तता थी लेकिन विवेचक ने हितबद्ध होते हुए जुर्म खारिजा प्रस्तुत की है। अभियुक्तगण शराफत पुत्र अहमद हुसैन, राजा व शब्बू पुत्रगण शराफत हुसैन निवासीगण मोहल्ला खण्डसारी थाना कोतवाली जिला बदायूँ को विचारण हेतु तलब करने की प्रार्थना की गयी है।

२. प्रस्तुत अभियोग में मूलतः वादी का केस यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी फहीम उर्फ कल्लू पुत्र मो० कासिम निवासी मल्लू पान वाले के घर के सामने मो० छोटी सराय निवासी मो० खण्डसारी, कोतवाली, बदायूँ, उत्तर-प्रदेश, भारत ने तहरीर दि० २०/१०/१५ के माध्यम से पुलिस थाना कोतवाली को दिनॉक २०/१०/२०१५ को समय ८-१५ बजे सूचित किया कि-

''प्रार्थी के भाई नईम उर्फ राजा तथा अन्य लोगों पर कत्ल का एक मुकदमा चल रहा है जिसमें मो० हाशिम पुत्र सफातउल्ला, अमजद पुत्र मो० हासिम, अकरम पुत्र मो० हासिम, लखन पुत्र शराफत हुसैन आदि प्रार्थी के भाई के मुकदमे में खिलाफ गवाह है और इन लोगों से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालों से दुशमनी चल रही है तथा अब से सात आठ महीने पहले मो० हाशिम, मो० मियां, लखन, मुन्ना आदि ने प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाई नईम उर्फ राजा तथा प्रार्थी के चाचा मो० नासिर पर जान लेवा हमला कर चुका है जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। मुल्जिमान १-मो० हाशिम पुत्र सफातउल्ला, २-अकरम उर्फ नन्ना, ३-अमजद पुत्रगण मो० हाशिम, ४-शराफत पुत्र अहमद हुसैन, ५-लखन पुत्र शराफत हुसैन, ६-राजा पुत्र शराफत हुसैन, ७-शब्बू पुत्र शराफत हुसैन, ८-अनवार पुत्र दूल्हे, ९-मुन्ना पुत्र अनवार, १०-आशू पुत्र अनवार निवासीगण मो० खण्डसारी थाना कोतवाली, बदायूँ, ११-जहाँगीर पुत्र अब्दुल कदीर नि० नन्हें मियॉ का गोदाम थाना कोतवाली, बदायूँ, १२-शकील पुत्र सफील नि० ग्राम शेखूपुर थाना सि०ला० बदायूँ के रहने वाले हैं। दिनॉक २०/१०/२०१५ को सुबह लगभग ७ बजे प्रार्थी तथा प्रार्थी का भाई नईम उर्फ राजा व सलीम पुत्र हनीफ मीट मार्केट निकट जेसी टाकीज मोहल्ला छोटी सराय मीट लगने गये थे और जैसे ही हम लोग सराय पर पहुॅचे वैसे ही उपरोक्त बारह मुल्जिमान जिनके हाथ में नाजायज तमन्चे थे, एकराय होकर आये हम सभी को घेर लिया और सभी ने जान से मारने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरु कर दी जिससे प्रार्थी के भाई नईम उर्फ राजा के गोली लगने से मल्लू

पान वाले के घर के सामने मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा सलीम घायल हो गया। उपरोक्त घटना का मौके पर आये गवाहान बब्लू उर्फ शारिक पुत्र शाकिर हुसैन, शकीलउद्दीन पुत्र शफीक उद्दीन जो मेरे ही मोहल्ले के रहने वाले है तथा रीनू उर्फ जावेद पुत्र वाजिद अली नि० आरिफपुर नवादा थाना सि० ला० बदायूँ ने भी देखा है। मैं रिपोर्ट को आया हूँ।''

इस सूचना पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०-११६३/२०१५ अंतर्गत धारा-१४७, १४८, १४९, ३०७, ३०२ भा०दं०सं० में अभियुक्तगण मो० हाशिम, अकरम उर्फ नन्ना, अमजद, शराफत, लखन, राजा, शब्बू, अनवार, मुन्ना, आशू, जहाँगीर, शकील के विरुद्ध पंजीकृत की गयी।

३. अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री मुकेश यादव उपस्थित हैं। प्रार्थना–पत्र ८३ ख पर सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

४. धारा–३१९ दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रयोग पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न विधि व्यवस्थाओं में यह विधि प्रतिपादित की है कि–

1–संजीव कुमार बनाम पंजाब राज्य व अन्य
निर्णीत तिथि १५/०३/२०१९

में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि न्यायालय के विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रतिपादित की है कि–

2- In Criminal Appeal No.1349 of 2018
Labhuji Amratji Thakor & others Vs The State of Gujrat
Decided by Hon'ble Supreme Court on 13 Nov.2018.

1- **"***The test that has to be applied is one which is more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction."*
Quoted Hardeep Singh Vs. State of Punjab & Others,
(2014) 3 SCC 92.The Hon'ble Court held as ;
:-*9. The Constitution Bench has given a caution that power under Section 319 Cr.P.C. is a discretionary and extraordinary power, which should be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. The crucial test, which has been laid down as noted above is "the test that has to be applied is one which is more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction."*

3- Shiv Prakash Mishra Vs State of U.P & Another
Decided by Hon'ble Supreme Court on 11-05-2019

"9. The standard of proof employed for summoning a person as an accused person under Section 319 Cr.P.C. is higher than the standard of proof employed for framing a charge against the accused person. The power under Section 319 Cr.P.C. should be exercised sparingly. As held in Kailash v. State of Rajasthan and another (2008) 14 SCC 51, "the power of summoning an additional accused under Section 319 Cr.P.C. should be exercised sparingly. The key words in Section are "it appears from the evidence"...."any person"...."has committed any offence". ***It is not, therefore, that merely because some witnesses have mentioned the name of such person or that there is some material against that person, the discretion under Section 319 Cr.P.C. would be used by the court."***

10. As held by the Constitution Bench in para (105) in Hardeep Singh, the power under Section 319 Cr.P.C. is discretionary and is to be exercised sparingly which reads as under:-

"105. Power under Section 319 CrPC is a discretionary and an extraordinary power. It is to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. It is not to be exercised because the Magistrate or the Sessions Judge is of the opinion that some other person may also be guilty of committing that offence. Only where strong and cogent evidence occurs against a person from the evidence led before the court that such power should be exercised and not in a casual and cavalier manner.

106. Thus, we hold that though only a prima facie case is to be established from the evidence led before the court, not necessarily tested on the anvil of cross-examination,

it requires much stronger evidence than mere probability of his complicity. The test that has to be applied is one which is more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction. In the absence of such satisfaction, the court should refrain from exercising power under Section 319 CrPC. In Section 319 CrPC the purpose of providing if "it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence" is clear from the words "for which such person could be tried together with the accused". The words used are not "for which such person could be convicted". There is, therefore, no scope for the court acting under Section 319 CrPC to form any opinion as to the guilt of the accused."

11. The above view was followed in Brijendra Singh(Brijendra Singh Vs State of Rajasthan (2017)7SCC 706) as under:-

"13. In order to answer the question, some of the principles enunciated in Hardeep Singh case (2014) 3 SCC 92 may be recapitulated: ..... However, since it is a discretionary power given to the court under Section 319 CrPC and is also an extraordinary one, same has to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. The degree of satisfaction is more than the degree which is warranted at the time of framing of the charges against others in respect of whom charge-sheet was filed. Only where strong and cogent evidence occurs against a

person from the evidence led before the court that such power should be exercised. It is not to be exercised in a casual or a cavalier manner. The prima facie opinion which is to be formed requires stronger evidence than mere probabilityof his complicity."

4- Sugreev Kumar Vs State of Punjab & others
Decided by Hon'ble Supreme Court on 15-03-2019

"The test to be applied is the one which is more than a prime facie case as examined at the time of framing charge but not of satisfaction to the extent that the evidence, if goes uncontroverted, would lead to the conviction of the accused.""

Quoted Hardeep Singh ,Supra as

""95. At the time of taking cognizance, the court has to see whether a prima facie case is made out to proceed against the accused. Under Section 319 CrPC, though the test of prima facie case is the same, the degree of satisfaction that is required is much stricter. A two-Judge Bench of this Court in Vikas v. State of Rajasthan, held that on the objective satisfaction of the court a person may be "arrested" or "summoned", as the circumstances of the case may require, if it appears from the evidence that any such person not being the accused has committed an offence for which such person could be tried together with the already arraigned accused persons."

५. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय व अन्य निर्णयों से यह विधि के सिद्धान्त स्थापित होते हैं कि–

५.१– धारा– ३१९ दं०प्र०सं० के अंतर्गत न्यायालय की शक्तियाँ असाधारण हैं और न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। न्यायालय का न्यायिक विवेक विधिसम्मत रुप से प्रयोग किये जाने की विधि की अपेक्षा है।

५.२– न्यायालय की धारा–३१९ दं०प्र०सं० की शक्तियों का प्रयोग किफायत (Sparingly) से करना चाहिए और उन्हीं केसों में किया जाना चाहिए जहाॅ केस की परिस्थितियाॅ ऐसी शक्ति के प्रयोग करने की परिस्थितियों को स्पष्ट करें। इस शक्ति का प्रयोग (Casual)/(Cavalier) लापरवाह तरीके से शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चूॅकि अभियुक्त को साक्ष्य में कुछ साक्षियों ने नामित किया है और अभियुक्त के विरुद्ध कुछ तथ्य है, मात्र इसी अधार पर ही विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

५.३– न्यायालय द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने का मापदण्ड यह है कि आरोप विरचित करने के समय प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध केस होने से अधिक और इस मापदण्ड की यदि साक्ष्य अखण्डित रहती है तब दोषसिद्धि होगी, से कम साक्ष्य का स्तर होना चाहिए। दृढ़/मजबूत (Strong) एवं (C0gent) निश्चयात्मक/प्रभावशाली साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए होना आवश्यक है। मात्र संलिप्तता की संभावना इस शक्ति के प्रयोग करने का आधार नहीं हैं।

६. धारा–१९३ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तीन अभियुक्तगण को तलब करने का

प्रार्थना–पत्र दि० २५/०३/२०१९ में इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। तद्उपरांत तीन साक्षीगण प्रस्तुत हुये हैं, जिनमें साक्षी १ सारिक उर्फ ववलू प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य प्रस्तुत की है कि–

''नईम उर्फ रजा मेरे (मृतक) मेरे सगे बहनोई थे। मैं दिनांक २०.१०. २०१५ को मीट मार्केट में मीट लेने गया था। सुबह पौने सात-सात का समय होगा। मीट मार्केट जे०सी० टाकीज के पास है। मेरे साथ मेरे बहनोई मीट लेने वहां आ गये थे। नईम के साथ टीनू उर्फ जावेद, सलीम, नईम के भाई फहीम उर्फ कल्लू, शकीलउद्दीन भी थे। जैसे ही मैं नेहरू चौक पहुंचा तो नईम व सलीम मुझसे आगे चल रहे थे तभी पीछे से फायरिग हुई हम २०-२५ कदम चल पाये होगे पीछे से हाशिम, अकरम, अमजद, मोह० मियां उर्फ गुड्डा , जहॉगीर, शकील उर्ब बाबा, शराफत, राजा, लखन, शब्बू, अनवार, अनवार के लड़के आशू, मुन्ना फायरिंग करने लगे। इन लोगों के पास नाजायज असलहे थे। फायर सलीम के लगा और अफरा तफरी का माहौल हो गया। अफरा तफरी में मैं वहीं साइड में छुप गया जब रज्जा उर्फ नईम छोटी सराय की तरफ २०-२५ कदम भागे तभी उपरोक्त मुल्जिम हाशिम, अकरम उर्फ नन्हा, अमजद, शराफत, राजा, लखन, शब्बू, अनवार, मुन्ना, आशु, जहांगीर, मो० मियां उर्फ गुड्डा व शकील उर्फ बाबा पीछे भागे जिसमें चार मुल्जिम जहॉगीर, मोहम्मद मिया उर्फ गुड्डा शकील उर्फ बाबा व लखन जे सी टाकीज की गली में से आये और नईम उर्फ राजा के पीछे भागे। जिस गली में नईम भागे थे उस गली के सामने से शराफत, अनवार व छोटे आ गये और बाकी मुल्जिमान पीछे से आये। इन सभी मुल्जिमान ने ताबड-तोड़ फायरिग शुरू कर दी। इन लोनों ने नईम को तीनो तरफ से घेर लिया। नईम की फायरिग करके वहीं हत्या कर दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। इस घटना को मेरे अलावा टीनू उर्फ जावेद, शकीलउद्दीन, व फहीम उर्फ कल्लू ने देखा था। मैं इन सभी मुल्जिमान हाजिर अदालत को पहचानता हूँ। अभियुक्त उपस्थित लखन, जहागीर अमजद, हाशिम उर्फ छोटे, अकरम उर्फ नन्हा, मोहम्मद मिया उर्फ गुड्डा, अनवार, मुन्ना, आशु, हाजिर अदालत है। इस समय न्यायलय में उपस्थित है। शराफत, राजा व शब्बू नहीं है। अभियुक्त शकील उर्फ बाबा न्यायालय में पीछे खड़े है। जो सभी घटना के समय मौजूद थे और घटना को अंजाद दिया था। सभी मुल्जिमान घटना करके भाग गये थे तभी हम नईम उर्फ राजा को अस्पताल ले गये थे। सामने फहीम, सलीम व रीनू व जावेद थे। वहॉ अस्पताल में नईम उर्फ राजा मृत घोषित कर दिया। डाक्टरों ने देख कर कि यह मर गये है फिर नईम के भाई फहीम कोतवाली गये। अस्पताल में पुलिस आयी थी और लिखा पढ़ी हुई थी। पंचायतनामा मेरे सामने भरा गया था। पंचायतनामा पर मेरे दस्तखत किये थे। लाश मेरे सामने सील हुई थी और पोस्टमार्टम् को गयी थी। मैंने सभी मुल्जिमान को घटनास्थल पर फायरिंग करते देखा था। फायरिंग नईम उर्फ राजा के ऊपर भी करते देखा था और हवाई फायरिंग भी करते देखा था। इस घटना में सलीम को फायर की चोट आयी थी।

पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या-१० क/१ व १०/२ पंचायतनामा दिखाया तो गवाह ने कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर है उसका तस्दीक करता हूॅं।

यह पंचायतनामा दरोगा जी ने हमसे पूॅछकर लिखा था। इस

इस घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरे ब्यान लिये थे। मैंने ब्यान में जो बाते बतायी है वही दरोगा जी को बतायी थी।

इस घटना के सम्बन्ध में सी०ओ० साहब को मैंने शपथ–पत्र दिया था। मैंने शपथ–पत्र मृतक के पिताजी को दिया था। मैं सी०ओ० साहब के सामने नहीं गया था। गवाह को

शपथ–पत्र कागज संख्या–८ ख/८६ व ८७ दिखाया तो साक्षी ने कहा कि यही शपथ–पत्र है जो मैंने दिया था, इस पर मेरा फोटो व हस्ताक्षर है। गवाह को शपथ–पत्र पढ़कर सुनाया तो उसने कहा कि मैंने जो बोला था वही इसमें लिखा है। मैंने शपथ का मजमून बोला था वही टाइपिस्ट ने टाइप किया थ्ज्ञा। मैं इसकी तस्दीक करता हूँ।''

६.१– साक्षी ३ जावेद उर्फ रीनू है एवं इस साक्षी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रुप में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि २० अक्टूबर २०१५ की घटना में नईम उर्फ राजा पर फायरिंग कर हत्या कारित करने वालों में अन्य अभियुक्तगण के अलावा प्रस्तुत अभियुक्तगण शराफत, राजा व शब्बू भी थे।

६.२– विवेचक ने धारा–१६१ दं०प्र०सं० के कथन में सारिक उर्फ ववलू व जावेद उर्फ रीनू के निम्न कथन को इन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रेषित न करने का अन्य साक्ष्यों के अतिरिक्त आधार बनाया गया है कि बब्लू के कथन अंतर्गत धारा १६१ दं० प्र०सं० में यह भी अंकित है कि–

''किन्तु यह बात सही है कि घटना वाले दिन शराफत, राजा, लखन व शव्वू घटना स्थल पर नहीं थे, न ही इस घटना में शामिल थे, लेकिन यह बात हो सकती है कि लखन को इस हत्या की जानकारी हो। क्योकि इस हत्या कांड के सूत्रधार मो० मियां उर्फ गुड्डा, जहाँगीर व मुन्ना पुत्र अनवार ही थे........''

जावेद उर्फ रीनू का भी पुनः कथन धारा–१६१ दं०प्र०सं० अभिलिखित किया गया जिसने यह कथन किया है कि

''यह बात सही है कि दि० २०.१०.१५ को जब मीट बाजार के पास नईम उर्फ राजा की हत्या हुई, उस समय शराफत छोटे सरकार की मजार पर तथा राजा, लाखन व शब्बू अपने घर पर कुरानखवानी करा रहे थे, किन्तु फहीम मेरा दोस्त है, उसने जो मुकदमा लिखाया है, मुझे वैसा ही ब्यान देना है। यह बात सच है कि शराफत, राजा और शब्बू का इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है.........।''

७– अभियोजन का इस स्तर पर कथन है कि विवेचना दूषित व हितबद्धता से ग्रसित है। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि धारा–१६१ दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों के विरुद्ध शराफत पुत्र अहमद हुसैन, राजा व शब्बू पुत्रगण शराफत हुसैन को भी हत्या करने वालें अभियुक्तगण के रुप में नामित किया गया है। यह साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की है, सारवान साक्ष्य है। अतः साक्षीगण की साक्ष्य की सत्यता का परीक्षण विचारण के दौरान किया जाना विधिसंगत है। चूँकि इस स्तर पर न्यायालय साक्ष्य के सत्य या असत्य होने की अवधारणा नहीं कर सकती है। पक्षकारों के मध्य रंजिश का तथ्य एक ऐसा तथ्य है जो विधिनुसार दोधारी तलवार के समान है एवं प्रस्तावित अभियुक्तगण की संलिप्तता अथवा असंलिप्तता को समान रुप से संभावित बनाता है। अतः इस स्तर पर चूँकि साक्ष्य का आकलन नहीं होना है। अतः पक्षकारों के मध्य वैमनस्यता या मुकदमेवाजी के आधार मात्र पर अभियुक्तगण को तलब न करने का विधिक आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के मोबाइल नम्बर की लोकेशन की विवेचना दौरान एकत्रित साक्ष्य भी विचारण के दौरान ही परीक्षण के उपरांत ही विधिनुसार स्वीकार योग्य है। तद्नुसार प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण शराफत पुत्र अहमद हुसैन, राजा व शब्बू पुत्रगण शराफत हुसैन निवासीगण मोहल्ला खण्डसारी थाना कोतवाली जिला बदायूँ को धारा–१४७, १४८, ३०७ सपठित

धारा–१४९, ३०२ सपठित धारा–१४९ भा०दं०सं० अंतर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब करने का पर्याप्त आधार है। अभियोजन/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र ८३ ख अंतर्गत धारा–३१९ दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

१– प्रार्थना–पत्र ८३ ख अंतर्गत धारा–३१९ दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है।

२– अभियुक्तगण शराफत पुत्र अहमद हुसैन, राजा व शब्बू पुत्रगण शराफत हुसैन निवासीगण मोहल्ला खण्डसारी थाना कोतवाली जिला बदायूँ को धारा–१४७, १४८, ३०७ सपठित धारा–१४९, ३०२ सपठित धारा–१४९ भा०दं०सं० अंतर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विचारण हेतु तलब किये जाने हेतु सम्मन दिनॉक १६/१२/२०१९ नियत कर जारी हो।

दिनॉक ०५/१२/२०१९

(अशोक कुमर–सप्तम)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।